न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

प्रकीर्ण आवेदन संख्या :– 375/11/2022

मौ0 इमरान प्रति तालिब आदि

धारा :– 156(3) दं0प्र0सं0

थाना :– सिविल लाइन, अलीगढ़।

CNR No.UPALO40165352022

28–07–2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी मौ0 इमरान के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अं0धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर नियत दिनांक से पूर्व की दिनांक पर सुना जा चुका है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी मौ0 इमरान की ओर से विपक्षीगण तालिब, यासमीन तथा सज्जाद उर्फ गुड्डू के विरूद्ध अं0धारा 156(3)दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित किये जावे।

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 05–05–2022 को न्यायालय श्रीमान सी0जे0एम0 कोर्ट अलीगढ़ में अपनी जमानत कराने आया था। प्रार्थी समय करीब 5:00 शाम को अपनी जमानत कराकर अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में जिला पंचायत कार्यालय से पहले अनूपशहर रोड अलीगढ़ पर अभियुक्तगण संख्या–01 लगायत 03 ने प्रार्थी को रोक लिया और प्रार्थी को गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए लात–घूसों से एक राय मशवरा होकर मारने पीटने लगे और प्रार्थी की जेब में रखे रूपये छीन लिये। अभियुक्त संख्या–01 ने प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से अपनी जेब से चाकू निकाल कर प्रार्थी पर हमला कर दिया जिसे खालिद, शहजाद व अन्य राहगीरों ने पकड़ लिया। उसको उपरोक्त लोगों ने अभियुक्तगण से बचाया। उक्त अभियुक्तगण जाते समय धमकी देकर चले गये कि आज तो बच गया है, आयन्दा तुझे जान से मार देंगे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी की ओर से स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 07–05–2022 की

प्रति मय एक किता असल रजिस्ट्री रसीद तथा आधार कार्ड की प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में थाना सिविल लाइन से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की जानकारी प्रार्थी के व्यक्तिगत ज्ञान में है। विवेचना से किसी भी नये तथ्य के प्रकट होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः इस सम्बन्ध में विवेचना कराये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थी ने घटना का सम्पूर्ण विवरण प्रार्थनापत्र में दिया है। घटना के गवाह भी प्रार्थी आसानी से न्यायालय के समक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार के है कि यदि मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये तो भी न्याय के उद्वेश्यों की पूर्ति आसानी से हो जायेगी।

जहॉ तक धारा 156(3)द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने की बाध्यता का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जोसफ माधुरी बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी 2001 (3) क्राइम 324, मौ0 युसुफ बनाम श्रीमती आफाक 2006 जे0आई0सी0 705, एलक पदमसी बनाम भारत संघ (2007)6ए0सी0सी0 171 में** यह मत व्यक्त किया गया है कि दं0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अन्तर्गत अन्वेषण के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र में............,जिसमें मजिस्ट्रेट न्यायालय संज्ञान लिए जाने से पूर्व धारा 156(3)द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस के द्वारा अन्वेषण का आदेश कर सकता है या परिवाद पर संज्ञान लेकर परिवादी व उसके साक्षीगण का साक्ष्य धारा 200 व 202 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत जॉच कर सकता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0राज्य 2015 (6) एस0सी0सी0 287 में** यह मत व्यक्त किया है कि धारा

156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायाल इलाहाबाद द्वारा **गुलाबचन्द उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जे0आई0सी0 2002 पेज 853** में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था के अनुसार यदि घटना का सम्पूर्ण विवरण व मुल्जिमान का विवरण प्रस्तुत किया गया है एवं मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय को विवेचना की आवश्यकता यदि प्रतीत होती है तो अध्याय 15 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत कार्यवाही करना ही न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मामले में पुलिस से अन्वेषण कराने हेतु कोई तथ्य शेष न होने के कारण परिवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी मौहम्मद इमरान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 29–08–2022 को पेश हो।

दिनांक :– 28–07–2022

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।